WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052023-245751
CG-DL-E-08052023-245751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2038] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2023/वैशाख 18, 1945
No. 2038] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2023/ VAISAKHA 18, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

का.आ. 2128(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 4990(अ) तारीख 27 सितंबर, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्तन निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अंतर्वलित रकम या मूल्य, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारियों का पदनाम	धनीय सीमा
(1)	(2)	(3)
(1)	विशेष प्रवर्तन निदेशक	ऐसे मामले जिनमें पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की रकम अंतर्वलित है ।
(2)	अपर प्रवर्तन निदेशक	ऐसे मामले जिनमें पच्चीस करोड़ रुपए तक किंतु पांच करोड़ रुपए से अन्यून रकम अंतर्वलित है ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(3)	संयुक्त प्रवर्तन निदेशक	ऐसे मामले जिनमें पच्चीस करोड़ रुपए तक किंतु पांच करोड़ रुपए से अन्यून रकम अंतर्वलित है।
(4)	उप प्रवर्तन निदेशक	ऐसे मामले जिनमें पांच करोड़ रुपए तक किंतु दो करोड़ रुपए से अन्यून रकम अंतर्वलित है।
(5)	सहायक प्रवर्तन निदेशक	ऐसे मामले जिनमें दो करोड़ रुपए से अनधिक की रकम अंतर्वलित है।

[फा. सं. के-11022/5/2023-एडी.इडी]

संदीप गहलोत, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 2023

S.O. 2128(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section(ii) *vide* number S.O. **4990(E)**, dated the 27th September, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following officers of the Directorate of Enforcement specified in Column(2) of the Table below as the Adjudicating Authorities for holding an inquiry in the manner prescribed after giving a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty under section 13 of the said Act, involving an amount or value as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	**Designation of Officers**	**Monetary limit**
(1)	**(2)**	**(3)**
(1)	Special Director of Enforcement	Cases involving amount exceeding rupees twenty five crores.
(2)	Additional Director of Enforcement	Cases involving amount upto rupees twenty five crores but not less than five crores.
(3)	Joint Director of Enforcement	Cases involving amount upto rupees twenty five crores but not less than five crores.
(4)	Deputy Director of Enforcement	Cases involving amount upto rupees five crores and not less than two crores.
(5)	Assistant Director of Enforcement	Cases involved of amount not exceeding rupees two crores.

[F. No. K-11022/5/2023-Ad.ED]

SANDEEP GAHLOT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.